अध्याय-III
डाक विभाग

3.1 डाक विभाग (डा वि) के डाक लेखा कार्यालयों में आन्तरिक नियंत्रण

3.1.1 प्रस्तावना

डाक विभाग (डा वि) का सारे देश में 1.54 लाख से अधिक डाकघरों का नेटवर्क है। यह डाक सेवाओं के साथ–साथ परिवहन (पार्सल व लोजिस्टिक) सेवायें उपलब्ध कराने का मुख्य कार्य करता है। डा वि वित्तीय सेवायें उदाहरणार्थ बचत बैंक योजना, नकद प्रमाणपत्रों को जारी करना, धन–आदेश तथा बीमा व कई मूल्य वर्धित सेवायें जैसे त्वरित डाक, व्यावसायिक डाक, एक्सप्रैस पार्सल डाक, बिल डाक आदि भी प्रदान करता है। सार्वजनिक भविष्यनिधि प्रबंधन के अतिरिक्त, डा वि वित्त मंत्रालय की ओर से सेना, रेलवे, कोल माइन पेंशन भोगी आदि को पेंशन संवितरण का भी कार्य करता है। डा वि वर्ष 2008 से डाक घरों द्वारा मनरेगा (एम जी एन आर ई जी ए) मजदूरी भी संवितरण कर रहा है।

सचिव, डाक विभाग का मुख्य लेखांकन प्राधिकारी तथा डाक सेवा बोर्ड (डा से बो) का अध्यक्ष भी होता है। विभाग के लिये संयुक्त सचिव व वित्तीय सलाहाकार डा से बो को वित्तीय सलाह देते हैं।

सारे देश में 22 डाक परिमंडल हैं, प्रत्येक की अध्यक्षता मुख्य महाअध्यक्ष डाक (मु म अ डा) करता है। एक अथवा अधिक डाक परिमंडलों के लिये, एक डाक लेखा कार्यालय (डा ले का) होता है, इसकी अध्यक्षता लेखा के महाप्रबंधक/निदेशक/उपनिदेशक, रैंक के अधिकारी द्वारा की जाती है। मु म अ डा के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन तथा उप महानिदेशक, डाक लेखा व वित्त (उ म नि (डा ले वि) के कार्यात्मक नियंत्रण जो डाक निदेशालय में स्थित है के अधीन डा ले का होता है।

3.1.2 डा ले का का कार्य व नियंत्रण

डाक लेखा नियमपुस्तिका खण्ड-I के पैराग्राफ 1.08 के अनुसार परिमंडल स्तर पर, डाक ले का प्रतिमाह प्रथम दिवस को पूर्वमाह की रोकड़ शेष रिपोर्ट के साथ नकद लेखा[1] तथा वाउचर व अनुसूचि मुख्य डाकघर (मु डा घ) से प्राप्त करता है। नकद लेखा के आधार पर एक वर्गीकृत सार[2] तैयार किया जाता है जिसमें प्रत्येक लेखा शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्ति व भुगतान दर्शाया जाता है। उसके बाद सभी मु डा घ के सार डा ले का में संकलित किये जाते है, तथा एक परिमंडल सार तैयार किया जाता है, जिसे डाक निदेशालय को प्रधान सार बनाने हेतु प्रस्तुत किया जाता है। डा

[1] नकद लेखा प्र डा घ व अधीनस्थ कार्यालयों की प्राप्ति व संवितरण है।

[2] वर्गीकृत सांराश में विनियोजन के प्रयोजन हेतु निर्धारित विविध लेखा शीर्ष में मासिक प्राप्ति व भुगतान का वर्णन होता है।

वि के लेखे प्रधान सार के आधार पर तैयार किये जाते है। डा ले का भी डाक इकाइयों की आंतरिक जांच व निरीक्षण करता है ताकि हानि, दुर्विनियोजन, गबन आदि जैसी अनियमितताओं को रोका जा सके।

3.1.3 डा ले का द्वारा आन्तरिक नियंत्रण किया जाना

विविध डाक इकाइयों के कार्यचालन का प्रभावपूर्ण आन्तरिक नियंत्रण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डा ले का निम्नलिखित जांच करता है:

- व्यय सक्षम प्रधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित व संस्वीकृत है।
- प्राप्ति व व्यय की प्रत्येक मद सुवर्गीकृत की गई है ताकि उचंत शीर्ष के अन्तर्गत राशि न्यूनतम मात्र रहे।
- नकद प्रमाणपत्र (न प्र) व धन–आदेश (ध आ) का सामयिक समाधान।
- अन्य विभाग की तरफ से दी गई सेवाओं के लिये सामयिक देयो का दावा व सामयिक वसूली करना।

3.1.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

हमने डा ले का में आन्तरिक नियंत्रण की दक्षता व प्रभावोत्पादकता की जांच करने के उद्देश्य से यादृच्छिक चयनित 22 डाक परिमंडलों में से 15 में लेखापरीक्षा की थी (जून 2012 से अगस्त 2012) 2009-10 से 2011-12 की अवधि के लिये आकस्मिक व्यय, बैंक स्क्रोल से डाकघर अनुसूचियों के समाधान, नकद प्रमाणपत्रों, धन–आदेश व डा ले का में रखी गई अन्य विभागों से प्राप्त वसूलियों से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच की थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों को नवम्बर 2012 में मंत्रालय को जारी किया गया था तथा मंत्रालय का उत्तर अप्रैल 2013 में प्राप्त हुआ था।

3.1.5 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

यह जांचने हेतु लेखापरीक्षा की गई थी कि क्या;

- विद्यमान आन्तरिक नियंत्रण तंत्र डाक लेखा नियमपुस्तिका के प्रावधानों के अनुसार लेखों की उचित जांच व संकलन सुनिश्चित करता है,
- आन्तरिक जांच के लिये उत्तरदायी संगठन प्रभावपूर्ण व दक्षता से कार्य कर रहा था,
- विद्यमान आन्तरिक नियंत्रण तंत्र कपट, दुर्विनियोजन आदि प्रकरणों का पता लगाने के लिये पर्याप्त है,
- अन्य विभागों से देय सामयिक वसूले जा रहे थे।

3.1.6 लेखापरीक्षा मापदंड में स्त्रोत

लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिये प्रयुक्त मापदंड के स्रोत डाक लेखा नियमपुस्तिका के अनुदेश, आदेश व परिपत्र आदि थे जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-2 पर जारी किया गया था।

3.1.7 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

डा ले का में आन्तरिक नियंत्रण से समबन्धित लेखापरीक्षा निष्कर्षो ने डा ले का के कार्यचालन में महत्वपूर्ण कमियों व कमजोर तथा अप्रभावी आन्तरिक नियंत्रण पर बल दिया जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

3.1.7.1 विद्यमान संहिता प्रावधानों के सम्बंध में लेखों का संकलन

डा व दू वित्तीय हस्त पुस्तिका (वि ह पु) खण्ड-I, 2006 व 2007 की डाक लेखा नियमपुस्तिका खण्ड-I में लेखों के संकलन से सम्बन्धित निर्धारित किये गये नियम तथा डा वि द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेश हैं। लेखों के संकलन से सम्बन्धित सुसंगत नियमों एवं उनमें हुई भिन्नता की चर्चा अनुवर्ती पैराग्राफों में की गई है।

(i) आकस्मिक व्यय का गैर समायोजन

डा व दू वि ह पु खंड-I के नियम 364 से 367 अन्य बातों के साथ–साथ यह निर्धारित करते हैं कि डाकघरों से अपेक्षा की जाती है कि वे 10 तारीख को तथा माह के अंतिम कार्य दिवस में आकस्मिक सार (आ सा)[3] बिल तैयार करें तथा इसे मासिक रोकड़ लेखा के साथ डा ले का को प्रेषित करें। मासिक विस्तृत आकस्मिक (बि आ)[4] बिल डाकघरों द्वारा तैयार किये जाते हैं तथा जिस माह से प्रभार सम्बन्धित होते है उसके अगले माह की 10 तारीख तक सभी सब–बाउचर के साथ प्रति हस्ताक्षर के लिये नियंत्रण अधिकारी को भेजे जाते है। प्रतिहस्ताक्षर के बाद यह डा ले का को दूसरे माह जिससे प्रभार संबंधित है कि 5 तारीख तक भेजे जाते है। उसके बाद, डा ले का से अपेक्षा की जाती है कि वे आ सा बिलों का अनियमित उपयोग यदि कोई है तो ध्यान में लाये और वि आ बिलों के शीघ्र प्रस्तुतीकरण के लिये परिमंडलाध्यक्षों को स्मरण पत्र जारी करें।

2009-10 से 2011-12 में 15 डा ले का के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि ₹367.40 करोड़ के वि आ बिल असमायोजित रहे जैसाकि **अनुलग्नक-II** में दर्शाया गया है। अनुलग्नक-II में निर्दिष्ट डेटा के विश्लेषण ने गैर समायोजित आ सा बिलो में 2009-10 में ₹84.57

---

[3] आकस्मिक सार प्रभारों में कार्यालय के प्रबंधन के लिये सभी आनुषंगिक एव अन्य आकस्मिक प्राकृति के व्यय सम्मिलित होते है इसे वैध खर्चा मानने के पहले सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित है।

[4] विस्तृत आकस्मिक बिल व बिल हैं जो आ सा बिलों के आहरण के विरूद्ध किये गये खर्च के बाद सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रस्तुत किये जाते है।

करोड़ से 2011-12 में ₹182.93 करोड़ की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाया था। बकाया आकस्मिक बिलों के गैर समायोजन में सरकारी धन के दुर्विनियोजन के खतरे की सम्भावना थी। लेखापरीक्षा ने एक ऐसा प्रकरण पाया जिसमें बिहार परिमंडल के विभागीय प्राधिकारियों ने सितम्बर 2010 में पाया कि फरवरी 2010 से सितम्बर 2010 की अवधि के 3534 वाउचर जोकि वि आ बिलों के गैर प्रस्तुतीकरण से सम्बन्धित थे, नकली थे। इसमें प्रतिहस्ताक्षर प्राधिकारियों के झूठे हस्ताक्षर लक्षित हुये और इससे ₹3.60 लाख का कपटपूर्ण भुगतान सुगम हुआ, इसके लिये विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि ₹367.40 करोड़ में से ₹70.57 करोड़ परिमंडलों द्वारा समायोजित किये गये है। यह भी बताया गया था कि शेष राशि समायोजित करने हेतु मामले को मजबूती से आगे बढ़ाया जा रहा था। तथापि, तथ्य है कि विभाग द्वारा कि आ सा/वि आ बिल बिना किसी विलम्ब के समायोजित किया जाना सुनिश्चित करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया था।

(ii) बैंक स्क्रोल के साथ डाकघर अनुसूचियों का गैर समाधान

डाक लेखा नियमपुस्तिका खंड-I का नियम 5.27 निर्धारित करता है कि डाक अनुसूचि में दर्शाई गई मदो का बैंक स्क्रोल की मदो के साथ मद–वार मिलान होना चाहिये। बैंक स्क्रोल अथवा डाक अनुसूचियों में असम्बद्ध मदें दो अलग रजिस्टरों में पूर्ण विवरण के साथ प्रतिलिपिबद्ध होनी चाहिये।

अक्तूबर 1993 से डा वि के लेन–देन की रिर्पोटिंग तथा लेखांकन की प्रारम्भ की गई कार्यविधि में बैंक से बैंक को आहरण/प्रेषण की दैनिक स्क्रोल सम्मिलित की जाती है, इसे सम्बन्धित बैंक द्वारा चार प्रतियों में अलग से तैयार किया जाता है तथा एक प्रति डा ले का को भेजी जाती है जबकि अन्य कार्यालय प्रति के रूप में रखी जाती है। दो प्रतियां चालान/चैक सहित फोकल पोइंट बैंक[5] को भेजी जाती है। इसके बाद फोकल पोइंट बैंक विभिन्न शाखाओं से प्राप्त स्क्रोल समेकित करता है तथा मुख्य स्क्रोल तैयार करता है और इसे डाक लेखा कार्यालय को भेजता है। डाक लेखा कार्यालय से अपेक्षा की गई है कि वे सम्बन्धित बैंक द्वारा भेजी गई दैनिक स्क्रोल के साथ मुख्य स्क्रोल की दूसरी प्रति को सत्यापित करे और प्रतिदिन विसंगतियों के बारे में बैक को इंगित करें। एक प्रति मु डा घ को भेजी जाती है। उपर्युक्त कार्यविधि के बहाव को दर्शाने वाला एक चार्ट नीचे दिया गया है:

[5] फोकल पोइंट बैंक वह बैंक है जो कड़ी में जुड़ी हुई सभी शाखाओं द्वारा इसको प्रतिवेदित लेन–देन की लेखाकंन करने के लिये जिम्मेदार है।

लेन–देन की रिपोर्ट व लेखांकन की कार्यविधि के बहाव को दर्शाने वाला चार्ट

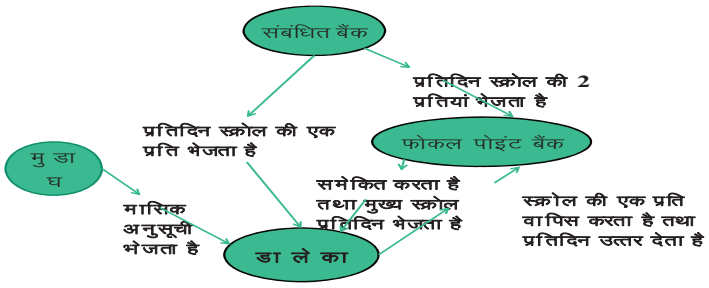

लेखापरीक्षा ने देखा कि 15 डा ले का में से आठ[6] डा ले का द्वारा सम्बन्धित मु डा घ से मासिक अनुसूचि की गैर–प्राप्ति के कारण समय पर समाधान पूरा नहीं किया गया था। इनमें से कुछ अनुसूचि 2004 से लम्बित पाई गई थी। बैंक स्क्रोल व डाकघर अनुसूचि में बैंक से आहरित ₹5136.17 करोड़ तथा ₹14218.72 करोड़ तथा बैंक में प्रेषित ₹8071.69 करोड़ तथा ₹18566.14 करोड़ क्रमशः असम्बद्ध थे। 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2012 तक राशि व प्रेषण असम्बद्ध रहे जिसे **अनुलग्नक-III** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, मंत्रालय ने बताया (मई 2013) कि सभी वांछित अनुसूचियों को प्राप्त करने का मामला संबंधित डा ले का के साथ आगे बढ़ाने के लिये उठाया गया है जिससे युग्मन/समाधान का कार्य को अद्यतन करने के लिये पूरा किया जा सके।

मंत्रालय का उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योकि कपट से सम्बन्धित खतरे के विचार की दृष्टि से समाधान के बकाया कार्य को पूर्ण करने हेतु न तो कोई समय सीमा तय की गई थी और न ही सामयिक समाधान प्रणाली स्थापित करने के लिये कोई आश्वासन दिया गया था। इस प्रकार का एक प्रकरण कोलकाता बैंक प्राधिकारियों द्वारा निकाला गया था जहाँ मार्च 2011 में ₹86 लाख कपटपूर्ण भुनाये गये थे। इस प्रकरण में, मुजरिम के निजी खाते में जाली चैक जमा किया गया था इसमें रद्द चैक की चैक संख्या का इस्तेमाल किया गया था। इस प्रकार के कपट केवल तभी रोके जा सकते थे जब मु डा घ डा ले का को तथा बैंक को सभी रद्द चैक के बारे में समय पर सूचित करता और यदि समाधान कार्य समय पर किया गया होता तो चैक भुनाने के कपटपूर्ण तरीके को रोका जा सकता था।

उपर्युक्त उदाहरण इस बात का द्योतक है कि बैंक स्क्रौल के साथ डाक घर अनुसूचियों के समाधान की जाँच करने के लिये डा ले का में व्याप्त तंत्र अपर्याप्त व अप्रभावी है।

[6] डा.ले.का. अहमदाबाद बंगलौर, कटक, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर एवं कपूरथला

(iii) लम्बित उचंत शेष

उचंत शीर्ष पर महानियंत्रक, लेखा नियमपुस्तिका का पैराग्राफ 1.1 निर्धारित करता है कि प्राप्ति व भुगतान की मदें जिनको तुरन्त प्राप्ति अथवा व्यय के अंतिम शीर्ष में सूचना की कमी के कारण स्वाभाविक अथवा किसी अन्य कारण से नहीं लिया जा सकता है, उन्हें मुख्य शीर्ष 8658-उचंत लेखों में अस्थाई रूप से दर्ज किया जाता है। सम्बन्धित विवरण/सूचना की प्राप्ति पर उचंत शीघ्र का निपटान शीघ्र किया जाना चाहिये क्योंकि उचंत शीर्ष में यदि राशि बिना निपटान के रहती है तो प्राप्ति व व्यय को सही तरीके से नहीं दर्शाया जा सकता है।

14 डा ले का के अभिलेखो की संवीक्षा से पता चला कि 2009-10 से 2011-12 के दौरान क्रेडिट व डेबिट उचंत में वृहत राशि थी जैसाकि नीचे तालिका-1 में दर्शाया गया है:

तालिका - 1

2009-10 से 2011-12 के दौरान उंचत शीर्ष के अर्न्तगत रखी राशि की दर्शाने वाला विवरण

(₹करोड़ में)

क्रम सं.	डा ले का का नाम	क्रेडिट उचंत			डेबिट उचंत		
		2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12
1	अहमदाबाद	9.69	3.58	18.24	59.53	-15.71	-727.67
2	बंगलौर	9.13	10.08	3.7	49.35	46.51	42.94
3	भोपाल	0.72	9.77	10.52	1.99	3.81	12.58
4	कटक	6.94	15.54	17.49	6.25	5.26	5.75
5	चैन्नई	44.73	17.08	35.29	40.23	8.73	21.14
6	रायपुर	36.21	19.75	25.09	43.71	5.60	7.62
7	हैदराबाद	24.88	32.49	86.12	0.07	0.03	0.02
8	जयपुर	0.24	2.94	4.34	2.85	2.74	3.59
9	कपूरथला	2.17	1.5	1.16	0.09	0.02	0.02
10	कोलकाता	174.68	170.95	202.72	285.83	282.21	194.98
11	लखनऊ	93.14	25.94	94.96	40.92	21.22	49.09
12	नागपुर	621.90	15.43	-7.53	249.16	162.14	186.91
13	पटना	65.3	61.22	36.22	213.86	131.02	88.42
14	त्रिवेन्द्रम	-1.3	0.53	13.42	-2.91	-0.23	0.16

(स्त्रोत: उचंत ब्रॉडशीट व समाधान रजिस्टर)

बकाया उचंत शेषों के विश्लेषण से पता चला कि डा ले का कोलकाता, नागपुर, पटना, अहमदाबाद व लखनऊ में क्रेडिट व डेबिट उचंत दोनों में सारपूर्ण उचंत बकाया थे। विश्लेषण से आगे यह भी पता चला कि अहमदाबाद डा ले का में, वर्ष 2011-12 के दौरान ₹727.67 करोड़ का वृहत

ऋणात्मक उचंत शेष था। उचंत शीर्ष में उपरोक्त शेष लेन–देन की प्रकृति नही दर्शा रहा हैं तथा इस प्रकार प्राप्ति तथा व्यय ठीक तरीके से नहीं दर्शाया जा सकता है।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (अप्रैल 2013) कि क्रेडिट उचंत में ₹162.47 करोड़ में से ₹4.46 करोड़ तथा डेबिट उचंत ₹433.30 करोड़ में से ₹9.84 करोड़ की राशि परिमंडलों द्वारा समायोजित की गई है। यह भी बताया गया था कि बाकी उचंत शेषों को समायोजित करने हेतु प्रबल तरीके से मामले को आगे बढ़ाया जा रहा था।

डाक विभाग को आवश्यकता है कि वह वृहत उचंत शेष कम करने हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करें क्योंकि उचंत (डेबिट) शेष में लम्बे समय तक बकाया राशि में सरकारी धन के गवन के खतरे की पूर्ण आशा रहती है जिस पर ध्यान नहीं जाता है या जो अचानक हो सकती है। इसके अतिरिक्त उचंत शीर्ष में शेष हर वर्ष संचित होते रहेंगे यदि ये राशियां बिना निपटान के रहती हैं, जो सरकारी प्राप्ति व व्यय को ठीक तरीके से नहीं दर्शायेंगे।

3.1.7.2 डाकघर नकद प्रमाणपत्रों (न प्र प) से संबंधित मामले

बचत को प्रोत्साहित करने हेतु, भारत सरकार ने प्रमाणपत्रों की श्रृंखला शुरू की है जिसे बचत बैंक व्यवसाय करने वाले डाकघरो से क्रय किया जा सकता है। डाकघर नकद प्रमाणपत्रों से सम्बन्धित नियम डाक लेखा नियम पुस्तिका खंड-II में निर्धारित किये गये हैं। नकद प्रमाणपत्रों के सम्बन्ध में डा ले का में मुख्य जांच स्टॉक व निर्गम रजिस्टर (स्टा व नि) के माध्यम से की जाती है। डाक घर नगद प्रमाणपत्र की संख्या, प्रत्येक प्रमाणपत्र के निर्गम का माह व वर्ष का विवरण आदि स्टॉ व नि रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाता है। उसी प्रकार, जब नकद प्रमाणपत्र का निर्गम किया जाता है और वह डा ले का में प्राप्त किया जाता है, प्रमाणपत्र की परिपक्वता पर प्रदत्त ब्याज की जाँच निर्गम व भुगतान की तारीख के सन्दर्भ में की जाती है जैसाकि प्रमाणपत्र मे उल्लेख किया गया है और सम्बन्धित नगद प्रमाणपत्र की संख्या के विरूद्ध स्टा व नि रजिस्टर में लिखा जाता है। प्रति माह निर्गम व भुगतान की कुल राशि विस्तृत पुस्तिका[7] में आंकड़ों से सत्यापित की जाती है।

नगद प्रमाणपत्रों व उनमें भिन्नता के सम्बन्ध में सुसंगत नियमों की चर्चा अनुवर्ती पैराग्राफों में की गई है।

(i) डाकघर प्रमाणपत्र कार्य में बकाया

डाक लेखा नियमपुस्तिका खंड-II का पैराग्राफ 2.4 निर्धारित करता है कि डा ले का द्वारा नकद प्रमाणपत्रों के स्टॉक व निर्गम के विवरण एक रजिस्टर में मु डा घर वार रखे जाने है तथा इसे प्रति माह विवरण पुस्तिका में आंकड़ों के साथ सत्यापित किये जाने चाहिये। सचिव, डा वि ने अप्रैल

[7] विस्तृत बुक में प्रत्येक परिमण्डल के लिये समेकित लेखा होता है जिसमें प्रत्येक लेखाशीर्ष में प्राप्ति व व्यय दर्शाया जाता है।

2007 में पश्चिम बंगाल परिमंडल में ₹104 करोड़ के वृहत कपट को ध्यान में रखते हुये, परिमंडलाध्यक्ष को निजी तौर पर यह सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी बनाया कि नकद प्रमाणपत्र कार्य किसी भी परिस्थिति में लम्बित नहीं रहना चाहियें।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 31 मार्च 2012 को ₹1420.92 करोड़ मूल्य के 2790228 नकद प्रमाणपत्र 15 डा ले का में से 13 में स्टॉक व निर्गम रजिस्टर में बिना दर्ज किये हुये थे जैसाकि **अनुलग्नक-IV** में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, 13 डा ले का[8] में से आठ में, नकद प्रमाणपत्र 10 वर्षों से अधिक समय से दर्ज नहीं किये गये थे तथा चार डा ले का अर्थात् हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ व भोपाल में, प्रत्येक डा ले का में एक लाख से अधिक मदें दर्ज नहीं की पाई गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, मंत्रालय ने बताया कि सम्बन्धित परिमंडलाध्यक्षों को नियमित अन्तराल पर स्मरण कराया गया था ताकि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों में लम्बे समय से लम्बित व बांछित नकद प्रमाणपत्र विवरणी भेजने हेतु आवश्यक अनुदेश जारी करें। यह भी बताया गया कि फरवरी 2013 में नवीनतम स्मरण पत्र जारी किया गया था।

उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि अनुदेश व स्मरण पत्र मात्र जारी करना प्रभावपूर्ण नहीं होगा। मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि नकद प्रमाणपत्र नियमित रूप से दर्ज तथा सत्यापित किये गये है तथा साथ ही इन्हे मानीटर भी किया जाना है।

(ii) न बेचे गये डाकघर नकद प्रमाणपत्रों की सूची की गैर प्राप्ति

डाक लेखा नियमपुस्तिका खण्ड-II के पैराग्राफ 2.47 के अनुसार, प्रतिवर्ष 31 मार्च को मुख्य डाकघरों में बिना बेचे रहे प्रमाणपत्रों की सूची डाक लेखा कार्यालय में वार्षिक रूप से प्राप्त होगी। सूची में प्रविष्टियां का मिलान स्टॉक व निर्गम रजिस्टर में प्रविष्टियों के साथ किया जाना चाहिये तथा कोई विसंगति ध्यान में आने पर सम्बन्धित डाकपाल के साथ निपटान किया जाना चाहिये। डाक लेखा कार्यालयों में एक रजिस्टर रखा जाता है जिसके द्वारा बगैर बेचे गेये नकद प्रमाण पत्रों की प्राप्ति की सूची पर निगरानी रखी जाती है। यह जांच एक वर्ष के भीतर निर्गम हुये कपटपूर्ण लेन–देन का पता लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि ग्यारह डा ले का में मु डा घ द्वारा बिना बेचे प्रमाणपत्रों की सूची लेन–देन होने के एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत नहीं की गई थी। जैसाकि नीचे तालिका-2 में वर्णित है:

[8] डा ले का अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद, कपूरथला, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली एवं लखनऊ

तालिका - 2

मु डा घ द्वारा बिना बेचे नकद प्रमाणपत्रों की सूची की गैर प्रस्तुतीकरण को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	डा ले का का नाम	अवधि जब से बकाया
1	अहमदाबाद	1998-99
2	बंगलौर	2009-10
3	भोपाल	2009-10
4	कटक	2003-04
5	दिल्ली	2010-11
6	जयपुर	2009-10
7	कपूरथला	2009-10
8	कोलकाता	2009-10
9	लखनऊ	2009-10
10	नागपुर	2007-08
11	त्रिवेन्द्रम	2009-10

(स्त्रोत: स्टॉक व निर्गम रजिस्टर)

उपरोक्त तालिका इस तथ्य की द्योतक है कि डा ले का में बिना बेचे प्रमाणपत्रों की प्रस्तुतीकरण सूची के मानीटर पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण नहीं है जोकि लेन–देन के एकवर्ष के भीतर कपटपूर्ण निर्गम का पता लगाने हेतु महत्वपूर्ण औजार है। अहमदाबाद डा ले का में, 1998-99 से सूची लम्बित थी।

तथ्य को स्वीकारते हुये, डा ले का ने यह भी बताया कि डाक घर के वरिष्ठ अधीक्षक/डाकघर के अधीक्षक तथा डाकपालों के साथ मामला उठाया गया था ताकि लम्बित विवरणी प्रस्तुत की जा सके।

तथापि, डा ले का का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि कपटपूर्ण निर्गमों का पता लगाने में यह सूची एक महत्वपूर्ण साधन है तथा इस सूची को प्राप्त करने में विफलता के कारण नकद प्रमाणपत्रों के कपटपूर्ण निकासी का काफी समय तक पता नहीं लग पायेगा।

(iii) नकद प्रमाणपत्र की आपत्ति पुस्तिका में बकाया राशि

डाक लेखा नियम पुस्तिका का खंड-II का पैराग्राफ 2.58 से 2.61 निर्धारित करता हे कि परिमंडल आपत्ति पुस्तिका में आपत्ति विवरण[9] भरे जाने तथा नकल की जानी चाहिये। नकद लेखो से वापसी एवं वसूलियों के रजिस्टर में निगरानी हेतु एक संदर्भ दिया जाना चाहिये कि क्या डा घ प्रमाणपत्र के आपत्ति विवरण में दर्शाई गई किसी मद की वसूली अथवा वापसी हो गई। यदि कोई

[9] अपत्ति पुस्तिका में वाउचरों की अपूर्णता, ज्यादा भुगतान या कम जमा, निवेशको से ज्यादा वसूली या कम भुगतान जैसे अनियमितताये सन्निहित होती है।

वसूली अथवा वापसी पता लगाई जा सकती है, तो आपत्ति विवरण में तदनुरूप प्रविष्टी रद्द की जानी चाहिये। इसके बाद आपत्ति विवरण सम्बन्धित डाकपाल को भेजा जाना चाहिये ताकि वह आपत्ति विवरण अपने स्पष्टीकरण के साथ इसे प्राप्ति–तारीख से पन्द्रह दिन के अंदर लोटा सके। आपत्ति–पुस्तिका के माध्यम से लम्बित आपत्तियों पर नजर रखनी चाहिये तथा आपत्ति विवरण की बापसी में जब कभी अनुसूचित समय के बाद 4 दिनों से ज्यादा का विलम्ब हो जाता है तो अनुस्मारक जारी किये जाने चाहिये।

15 डा ले का में से 7 की आपत्ति पुस्तिका में यह देखा गया था कि 31 मार्च 2012 तक निर्गम व भुगतान हुये प्रमाणपत्रों के सम्बन्ध में ₹19433.97 करोड़ निपटान हेतु लम्बित थे जिसका विस्तृत विवरण नीचे की तालिका-3 में वर्णित है। इसके अतिरिक्त, कुल ₹19433.97 करोड़ में से ₹18996 करोड़ जोकि 98 *प्रतिशत* बनता है, कोलकाता डा ले का के विरूद्ध बकाया था।

तालिका - 3
न प्र प की आपत्ति पुस्तिका में बकाया राशि को दर्शाने वाला विवरण

(₹करोड़ में)

क्रम सं.	डा ले का का नाम	बकाया राशि
1	कटक	2.17
2	हैदराबाद	335.72
3	कोलकाता	18996.00
4	नागपुर	6.87
5	त्रिवेन्द्रम	1.59
6	कपूरथला	91.45
7	चेन्नई	0.17
कुल		**19433.97**

(स्त्रोत: नकद प्रमाणपत्रों के लिये आपत्ति पुस्तिका)

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, डा ले का कोलकाता जिसके विरूद्ध कुल राशि का 98 प्रतिशत बकाया था, ने बताया कि स्टाफ की अत्यधिक कमी के कारण पोस्टिंग कार्य रूका हुआ था। डा ले का ने यह भी बताया था कि आपत्ति पुस्तिका में बकाया मदों के निपटान हेतु सम्बन्धित डाकपालों तथा व अ डा घ के साथ नियमित रूप से पत्राचार किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, डा ले का अहमदाबाद, दिल्ली व बंगलोर ने बताया कि आपत्ति पुस्तिका विल्कुल भी नही रखी जा रही थी।

उत्तर स्वयं निर्दिष्ट करता है कि डाक लेखा कार्यालयों की आपत्ति पुस्तिका में बकाया राशियों को निपटान के लिए तथा आपत्ति पुस्तिका के गैर अनुरक्षण करने की अप्रभावी मॉनीटिरिंग रही।

3.1.7.3 धन आदेश (ध आ) से सम्बन्धित मामले

डाक लेखा नियम पुस्तिका खंड-II में अनुबद्ध धन–आदेश (ध आ) के सम्बन्ध में नियम निर्धारित करते हैं कि धन आदेश की जांच यह देखने के लिये की जानी चाहिये कि प्रत्येक भुगतान किये गये धन आदेश के लिये डाक घर में समान राशि क्रेडिट है तथा कमीशन सही ढ़ंग से वसूल किया गया है। धन आदेश व उससे व्यतिक्रमों के संबंध में सम्बन्धित नियमों की चर्चा अनुवर्ती पैराग्राफों में की गई है।

(i) युग्मन में बैकलोग

डाक लेखा नियमपुस्तिका खंड-II का पैराग्राफ 3.5 अनुबद्ध करता है कि प्रत्येक डा ले का अपने अधिकार–क्षेत्र में स्थित मु डा घ से जारी ध आ की सूची प्राप्त करता है। डा ले का भी सभी मु डा घ से भुगतान किये गये ध आ के साथ भुगतान किये गये ध आ की सूची प्राप्त करते हैं चाहे वह उनके क्षेत्राधिकार में हो अथवा उससे बाहर हो।

वर्ष 2009-10 से 2011-12 के लिये 15 डा ले का में से दस[10] में अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मु डा घ से भुगतान व जारी ध आ की सूची की गैर प्राप्ति के कारण, युग्मन कार्य पिछले 3 से 4 वर्षों तक बकाया था और हैदराबाद डा ले का के प्रकरण में, युग्मन कार्य वर्ष 2005 से लम्बित था जैसाकि **अनुलग्नक-V** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर मंत्रालय ने तथ्यों से सहमत होते हुये, यह बताया कि लम्बित बकाया/युग्मन कार्य को निपटाने/कम करने तथा समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए विविध सन्दर्भ सम्बन्धित डा ले का को जारी किये गये है। यह भी बताया गया था कि इस सम्बन्ध में नवीनतम सन्दर्भ सम्बन्धित डा ले का को मार्च 2013 में जारी किये गये थे।

(ii) ध आ के लिये रखी गयी आपत्ति पुस्तिका में बकाया

डाक लेखा नियम पुस्तिका खंड-II के पैराग्राफ 3.22 के अनुसार, जारी की गई ध आ की सूचियों के योग में तथा सारांश में दर्शाई गई अथवा कुल सारांश एवं नकद लेखा में क्रेडिट के मध्य यदि कोई विसंगति डा ले का द्वारा पाई जाती है तो इसे समायोजन हेतु आपत्ति विवरण के रूप में डाकपाल के ध्यान में लाया जाना चाहिये।

छः डा ले का की आपत्ति पुस्तिका सत्यापित करते समय, लेखापरीक्षा ने देखा कि गत सात से 12 वर्षो तक के 19.34 करोड़ रू. बकाया थे और लखनऊ डा ले का प्रकारण में 1972-73 से बकाया थे, जैसाकि नीचे तालिका-4 में वर्णित है:

[10] गुजरात, महाराष्ट्र, त्रिवेन्द्रम, भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद, कटक, रायपुर, लखनऊ और कोलकाता

तालिका-4
ध आ की आपत्ति पुस्तिका में बकाया राशि दर्शाने वाला विवरण

(₹करोड़ में)

डा ले का नाम	अवधि से बकाया	राशि
कपूरथला	2001-02	0.02
नागपुर	2003-04	14.48
हैदराबाद	2005-06	2.68
लखनऊ	1972-73	0.66
जयपुर	1999-2000	0.01
त्रिवेन्द्रम	1991-1992	1.49
कुल		**19.34**

(स्त्रोत: ध आ के लिए आपत्ति पुस्तिका)

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, डा ले का ने बताया कि बकाया राशि के निपटान हेतु उच्चतर प्राधिकारियों के साथ मामला उठाया जा रहा है।

यद्यपि तथ्य यह है कि आपत्ति पुस्तिका में बकाया राशि का निराकरण सुनिश्चित करने बाबत् डाक विभाग ने कोई ठोस प्रयास नहीं किये हैं।

3.1.7.4 अन्य विभागों से देयों की वसूली

(i) विलम्बित प्रेषण हेतु सार्वजनिक क्षेत्र बैंक से शास्ति व्याज की वसूली में विलम्ब

अप्रैल 2005 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी अनुदेशों में सार्वजनिक क्षेत्र बैंक द्वारा विलम्बित प्रेषणों पर व्याज की वसूली की व्यवस्था है। अनुदेशों में यह भी अनुबद्ध किया गया है कि कुल राशि जो समय पर प्रेषित नहीं की गई थी, सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग द्वारा सम्बन्धित बैंक के मुख्य कार्यालय को निजी प्रकरणों के विवरण के साथ देय शास्ति के बारे में सूचित किया जाना चाहिये। यह अगले माह की 15 तारीख तक तिमाही के आधार पर किया जाना चाहिये। डा वि के प्रकरण में, परिमंडल डाक लेखा कार्यालय को सम्बन्धित परिमंडल में डाकघरों की ओर से शास्ति व्याज–दावा की मांग करने का कार्य सौंपा गया है।

15 डा ले का में से 13 के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि डा ले का ने अलग–अलग सार्वजनिक क्षेत्र बैंक से (31 मार्च 2012 तक) 8.86 करोड़ रू. के शास्ति ब्याज की वसूली हेतु दावों की मांग करने में कोई कार्रवाई नहीं की जैसाकि **अनुलग्नक-VI** में दर्शाया गया है। यह भी देखा गया था कि डा ले का, बंगलोर में, ₹2.74 करोड़ की राशि 2003-04 से बकाया थी।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि ₹8.86 करोड़ में से ₹0.36 करोड़ डाकघरों द्वारा समायोजित किये गये हैं। यह भी बताया गया था कि शेष राशि को वसूलने हेतु मामले को प्रभावपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा था।

(ii) अन्य संगठनों के पेंशन भोगियों को भुगतान की गई पेंशन की राशि की गैर वसूली

डा वि अन्य विभागों की ओर से पेंशन/पारिवारिक पेंशन के संवितरण हेतु एजेन्सी का कार्य करता है तथा बदले में, कमीशन प्राप्त करता है जिसकी दरे डाक विभाग द्वारा समय–समय पर नियत की जाती है। पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान मु डा घ द्वारा किया जाता है। मु डा घ सम्बन्धित विभागों/उपक्रम से वसूली को प्रभावी बनाने के लिये डा ले का को मासिक नकद लेखे के साथ संबंधित भुगतान वाउचर/अनुसूची भेजनी अपेक्षित है।

13 डा ले का के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि रेलवे, ई पी एफ ओ, सी एम पी एफ तथा दू वि/भा सं नि लि के विरूद्ध ₹38.04 करोड़ बकाया थे जोकि डाकघरों द्वारा भुगतान की गई पेंशन व देय कमीशन के लिये थे जैसाकि **अनुलग्नक-VII** में दर्शाया गया है। यह भी देखा गया था कि ₹15.61 करोड़ की राशि जोकि कुल बकाया राशि का 41 *प्रतिशत* बनता था, की वसूली केवल डा ले का पटना द्वारा 2002-03 से की जानी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि ₹6.41 करोड़ वसूल किये जा चुके हैं। यह भी बताया गया था कि डा ले का को शेष राशि वसूलने के लिये कहा गया है।

(iii) भा सं नि लि/दू वि से देयों की गैर/कम बसूली

अन्य विभागों से देयों की वसूली के सम्बंध में अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि ₹15.50 करोड़ के देय जोकि अन्य विभागों से वसूल किये जाने थे, 31-03-2012 तक बकाया थे, जैसाकि नीचे तालिका-5 में दर्शाया गया है। यह भी देखा गया था कि कुल बकाया में से ₹7.33 करोड़ चेन्नई डा ले का द्वारा किराया, बिजली व जल प्रभारों में वसूल किये जाने थे।

तालिका-5
भा सं नि लि/दू वि के विरूद्ध बकाया राशि दर्शाने का विवरण

(₹करोड़ में)

क्रम संख्या	डा ले का का नाम	बकाया राशि	अभ्युक्तियां
1.	चैन्नई	5.67	तार प्रभारों की संभाल पर कमीशन
2.	त्रिवेन्द्रम	1.34	
3.	चैन्नई	0.71	2000-01 से 2011-12 तक डा व दू औषधालय का शेयर
4.	नागपुर	0.45	
5.	चैन्नई	7.33	01.01.1974 से किराया, बिजली प्रभार व जल प्रभार
कुल		**15.50**	

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, मंत्रालय ने बतया (अप्रैल 2013) कि राशि वसूलने के लिये परिमंडलों के साथ मामले को आगे बढ़ाया जा रहा था।

3.1.7.5 आन्तरिक नियंत्रण तंत्र

आन्तरिक जांच निरीक्षण के सम्बन्ध में नियम डाक लेखा नियमपुस्तिका खंड-I में निर्धारित किये गये हैं। आन्तरिक जांच व विचलन के सम्बंध में सम्बन्धित नियमों पर चर्चा अनुवर्ती पैराग्राफों में की गई है।

(i) बकाया आन्तरिक जांच कार्य

डाक लेखा नियमपुस्तिका खंड-I के पैराग्राफ 15.01 में व्यवस्था है कि निदेशक डा लेखा कार्यालय को अपने लेखांकन अधिकार क्षेत्रों की सभी डाक यूनिटों के लेखाओं की आंतरिक जांच हेतु प्रबंध करना चाहिये। आन्तरिक जांच अनुभाग को देखना चाहिये कि डा ले का के विभिन्न अनुभागों द्वारा लेखांकन जांच की विभिन्न प्रक्रिया का पालन सही तरीके से किया जा रहा है। कार्यविधि व वित्तीय अनियमितताओं में दोष से कपट अथवा दुर्विनियोजन अथवा गबन को बढ़ावा मिल सकता है, इसे पूरे तथ्यों के साथ निरीक्षण रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिये। निरीक्षण रिपोर्ट निरीक्षण पूर्ण होने की तारीख से एक माह के भीतर जारी की जानी चाहिये।

15 डा ले का में से चार के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 170 इकाइयों की आन्तरिक जांच का कार्य 31 मार्च 2012 तक बकाया था जैसाकि नीचे की तालिका-6 में दर्शाया गया है:

तालिका-6
निरीक्षण के लिये लम्बित इकाइयों की संख्या दर्शाने का विवरण

क्रम संख्या	डा ले का का नाम	आन्तरिक जांच के लिये लम्बित इकाइयों की संख्या
1.	कटक	45
2.	कोलकाता	80
3.	जयपुर	15
4.	त्रिवेन्द्रम	30
	कुल	**170**

(स्त्रोत: आन्तरिक जांच रजिस्टर)

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि स्टाफ की अत्यधिक कमी के कारण डाक इकाइयों की आन्तरिक जांच तय समय सीमा के भीतर पूरी नही की जा सकती थी और यह भी बताया गया था कि जयपुर व तिरूवनन्तपुरम डा ले का द्वारा सभी लम्बित इकाइयों का निरीक्षण पूरा किया गया है।

चूंकि आन्तरिक जांच एक महत्वपूर्ण औजार है जिसके द्वारा यह देखा जाता है कि क्या लेखांकन जांच की विभिन्न प्रक्रिया का पालन सही तरीके से किया जा रहा है, बकाया आन्तरिक जांच कार्य कार्यविधि में कमी का पता लगाये जाने में विलम्ब कर सकता है जिससे वित्तीय अनियमितताओं को बढ़ावा मिल सकता है।

(ii) निरीक्षण रिपोर्ट जारी करने में विलम्ब

डाक लेखा नियम पुस्तिका खंड-I के पैराग्राफ 15.01 व 15.16 में व्यवस्था है कि निरीक्षण रिपोर्ट निरीक्षण पूरा होने की तारीख से एक माह के भीतर जारी होनी है। इसके अतिरिक्त निरीक्षण की गई इकाइयों से अपेक्षा की गई है कि टिप्पणी के निपटान हेतु एक माह के भीतर शीघ्र उत्तर दें ताकि प्रणाली में यदि कोई कमी हो तो उसे ठीक किया जा सके।

12 डा ले का की अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि निरीक्षण रिपोर्ट 1 से 365 दिनों के विलम्ब से जारी की गई थी, जैसाकि **अनुलग्नक-VIII** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि निरीक्षण रिपोर्ट स्टाफ की कमी, **VI**वीं सी पी सी, विशेष आन्तरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और ग्रामीण डाक सेवकों के लिये समय सम्बन्धित निरन्तरता भत्ता के 100 *प्रतिशत* सत्यापन के कारण निर्धारित समय में जारी नहीं की जा सकी थी।

यह भी देखा गया था कि छः डा ले का में इकाइयों ने या तो कोई उत्तर नहीं दिया या देर से दिया जैसा कि नीचे दी गई तालिका-7 में वर्णित है।

तालिका-7

नि रि के लिए उत्तर की प्राप्ति न होने/देर से प्राप्त होने का विवरण

क्रम सं.	डा ले का का नाम	कुल नि प्र जारी किये गये	नि प्र की संख्या	
			जिसमें उत्तर देर से प्राप्त हुआ	जिसमें उत्तर बिल्कुल भी प्राप्त नही हुआ
1.	अहमदाबाद	101	76	7
2.	कटक	उ न	40	8
3.	कोलकाता	111	शून्य	75
4.	दिल्ली	97	51	34
5.	जयपुर	156	138	शून्य
6	नागपुर	185	132	35

(स्त्रोत: आंतरिक जांच रजिस्टर)

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि लम्बित पैरागाफों के उत्तर शीघ्र प्रस्तुत करने हेतु चूककर्ता क्षेत्रीय इकाइयों को स्मरण पत्र जारी किये गये हैं। यह भी बताया गया था कि कटक डा ले का के सम्बन्ध में सभी क्षेत्रीय इकाइयों से उत्तर प्राप्त हो गये हैं। उपरोक्त चूक डा ले का के आन्तरिक जांच संगठन की अप्रभावी व अकुशल कार्यचालन की ओर संकेत करता है।

निष्कर्ष

डाक विभाग के पास लेखों की तैयारी व अनुरक्षण हेतु एक व्यापक, सम्पूर्ण व विस्तृत तन्त्र है। वहां निर्धारित पर्याप्त जांच व संतुलन भी यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि नियंत्रण प्रभावपूर्ण है और लेखा उचित रीति से तैयार किये गये है तथा विभिन्न प्राधिकृत माध्यमों का समय पर प्रस्तुत किये गये है। तथापि, आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा से पता चला कि विद्यमान नियंत्रण तंत्र को उचित महत्व नहीं दिया गया था। आन्तरिक नियंत्रण में कमजोरी व अभाव के बारे में विभाग ने स्टाफ की कमी को मुख्य कारण बताया जिसके परिणामस्वरूप पोस्टिंग में विलम्ब, लेखों का गैर समाधान व अभिलेखो/लेखों का गैर अनुरक्षण हुआ। प्रस्तुत तर्क स्वीकार्य नहीं है, चूंकि विलम्ब की समस्याओं को दूर करने के लिये कम्प्यूटरीकरण प्रणाली भी उपलब्ध थी, परन्तु यह अप्रभावी व गैर प्रचालनात्मक सिद्ध हुई। परिमंडल अथवा निदेशालय स्तर पर इन मामलों को जानकारी में लाने के लिये कोई कार्रवाई नहीं की गई है। डा वि को इन मामलों को शीघ्रता से तथा प्रभावकारी तरीके से देखने की आवश्यकता है ताकि आन्तरिक नियंत्रण की प्रणाली को मजबूत बनाया जा सके जिसने विभाग के प्रभावकारी कार्य करने की दक्षता को संघात किया है।

सिफारिशे

- *बैंक समाधान कार्य में असम्बद्ध मदों के निपटान हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम विकसित व क्रियान्वित किया जाये।*
- *डा वि उचंत शेषों के निपटान हेतु वार्षिक अभियान चला सकता है।*
- *डा वि यह सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी कदम उठाये कि डा ले का में बकाया नकद प्रमाणपत्रों के कार्यों का निपटान शीघ्रता से समय बद्ध तरीके से किया जाये ताकि कपट/हानि/दुर्विनियोंजन के प्रकरण का पता लगाना शेष नही रह जाये।*
- *डा वि यह सुनिश्चित करे कि आन्तरिक जांच निरीक्षण निर्धारित समयावधि में हो तथा प्रभावपूर्ण तरीके से रिपोर्ट पर कार्यवाही का संचालन किया जाए।*

3.2 वित्त मंत्रालय से पारिश्रमिक का अनियमित दावा

डाक विभाग द्वारा 2009-10 से 2012-13 की समयावधि में गुजरात, तमिलनाडु तथा राजस्थान डाक परिमण्डल द्वारा बिना अनुकूल प्रयासों के मूक खातो को तकनीकी रूप से पुनजीर्वित करके वित्त मंत्रालय से ₹18.60 करोड़ का अनियमित दावा

डाकघर बचत बैंक (पी ओ एस वी) देश की प्राचीनतम तथा विशालतम बैंकिग संस्था है। बचत को प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार ने डाकघरों में बचत बैंक योजना लागू कीं। लघुबचत योजना जैसे बचत बैंक (एस बी) खाते, आवर्ती जमा (आर डी), समायवधि जमा (टी डी), नकद प्रमाणपत्र (सी सी) इत्यादि डाक विभाग (डा वि) द्वारा संचालित किए जाते हैं जिसके लिये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (वि मं) द्वारा विभाग को प्रति खाते/प्रति प्रमाणपत्र के आधार पर पारिश्रमिक दिया जाता है।

डाक घर बचत बैंक सामान्य नियम 1981 के नियम 2 (ए) के अनुसार, 'खाते' का तात्पर्य है एक बचत खाता, एक सावधिक समय खाता, एक आवर्ती जमा खाता, एक समयावधि जमा खाता, एन एस एस 1987 खाता, एम आई एस खाता। डाक घर बचत खाता नियम 1981 का नियम 8 दर्शाता है कि एक खाता जिसमें जमा अथवा आहरण पूरे तीन वर्ष तक नहीं हुआ है उसको मूक खाता माना जायेगा।

वित्त मंत्रालय द्वारा जीवन्त बचत खातों तथा मूक खातों पर 2009-13 की समयावधि में निम्न पारिश्रमिक दरें निर्धारित की गई थी जैसाकि तालिका-1 में दिया गया है। मूक खातों पर पारिश्रमिक वित्त मंत्रालय द्वारा 2011-12 में पहली बार शुरू किया गया।

तालिका-1
पारिश्रमिक दरे

(राशि ₹ में)

वर्ष	प्रति जीवंत एस बी खाते पर प्रतिवर्ष की दर	प्रति मूक खाते पर प्रतिवर्ष की दर
2009-10	129.49	-
2010-11	135.96	-
2011-12	151.76	20.93
2012-13	163.22	24.75

डाक विभाग द्वारा जनवरी 2010 में मूक खातों को पुनजीर्वित करने हेतु निम्न निर्देश जारी किये गये।

- 31 मार्च 2002 तक सभी मूक खातों (उनके सहित जिन्हें 2001-02 में ब्याज गणना के समय मूक माना गया) का बचत बैंक नियंत्रण संस्था (एस बी सी ओ)[11] द्वारा तकनीकी रूप में पुनजीर्वित किया जाना था (जमा कर्ता से आवेदन प्राप्त किये विना)। खातें जिन का शेष ₹50/- के कम है, से ₹20/- प्रति खाता सेवा शुल्क, उनके मूक खाता माने जाने के समय के शेष के आधार पर काटा जाना था वे खाते जिनका शेष ₹20/- अथवा उससे कम है, को बन्द किया जाना था।

- 31 मार्च 2010 को सभी तकनीकी रूप से पुनजीर्वित खातों पर ब्याज की गणना की जानी थी तथा सामान्य ब्याज विवरण के साथ ब्याज आरोपित किया जाना था।

- 01 अप्रैल 2010 से यह सभी खाते, 31 मार्च 2002 को मूक खातों, जोकि पहले ही कार्यालय शेष का भाग बन चुके है, के समान्तर होगें। यह सभी खाते, सम्बन्धित कार्यालय में डाटा ऐंट्री माडयुल द्वारा संचय पोस्ट में डालने होगें

- मूक खातों को पुनर्जीवित किसी भी विभागीय डाक घर में किया जा सकेगा जहां जमा अथवा आहरण द्वारा खाते पर कार्यवाही की गई है। परन्तु जमा कर्ता द्वारा पुनजीर्वित हेतु स्वंय डाक घर में उपस्थित होना पडेगा।

- डाकपाल द्वारा जमा कर्ता से खाते को पुनजीर्वित करने हेतु आवेदन पत्र लेना था तथा जमा कर्ता ने स्वंय को उसी प्रक्रिया के अनुसार पुनः परिचय देना था जैसा कि नवीन खाता आरंभ करने हेतु निर्धारित था।

गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान डाक परिमण्डलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (नवम्बर 2012 से जुलाई 2013) से मूक खातों के पुनजीर्वित करने पर वित्त मंत्रालय से पारिश्रमिक के अनियमित दावों का पता चला जैसा कि अनुवर्ती पैराग्राफ में दर्शाया गया है।

13 डाकघर गुजरात परिमण्डल के अन्तर्गत 8 डाकघर तमिलनाडु परिमण्डल के अन्तर्गत और राजस्थान परिमण्डल के 4 डाकघरों के रिकार्डों की जांच से ज्ञात हुआ है कि 554740 मूक खाते 2009-10 से 2012-13 के दौरान तकनीकी रूप से पुनजीर्वित किये गये और फिर संचय पोस्ट सॉफ्टवेयर में दर्ज किये गये। तथापि इन डाकघरों द्वारा डाक विभाग द्वारा जारी जनवरी 2010 के अनुदेशों की अवहेलना करते हुए इन खातों से किसी जमा या आहरण के हुए बिना और जमा कर्ता के स्वंय की उपस्थिति के बिना भी इन्हें जीवन्त खातें माना गया। इसके पश्चात इन तकनीकी रूप से पुनजीर्वित मूक खातों को वित्त मंत्रालय से उच्चतर दरों अर्थात जीवन्त खातों पर तय दरों पर पारिश्रमिक दावों हेतु सम्मिलित किया गया। इसके परिणाम स्वरूप इन तकनीकी रूप से पुनजीर्वित मूक खातों पर ₹18.60 करोड़ **(अनुलग्नक-IX)** के अनियमित पारिश्रमिक दावे प्रस्तुत किये गये।

[11] बचत बैंक नियंत्रण संस्था (एस बी सी ओ) बचत बैंक के नियंत्रण खातों को जारी रखने तथा बचत बैंक शाखा द्वारा किये गये कार्य के दिन प्रति दिन जांच हेतु मुख्य डाक घर में स्थापित की गयी है।

डाक निदेशालय में रिकार्डों की नमूना जांच से ज्ञात हुआ है कि गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान डाक परिमण्डलों द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी बचत बैंक जीवन्त खातों पर वित्त मंत्रालय से पारिश्रमिक का दावा किया गया और इसे प्राप्त किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा (जून 2013) इंगित किये जाने पर, डाक विभाग ने लेखापरीक्षा तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (जुलाई 2013) कि डाक विभाग का तकनीकी रूप से पुनजीर्वित खातों को जीवन्त खाते प्रतिपादित करने का आशय् कदापि नहीं था। उन्होंने सभी परिमण्डलों के मु महा अ डा को इन सभी मूक खातों को संचय पोस्ट में चिन्हित करने तथा 2013-14 के जीवन्त खातों से घटाने हेतु तुरन्त कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये। डाक विभाग ने परिमण्डलों को यह भी निदेशित किया कि इन मूक खातो को जीवन्त खातों में सम्मिलित किये जाने के प्रभाव को सूचित किया जाए जिससे 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान इन मूक खातों पर अधिक पारिश्रमिक दावों की राशि, 2013-14 के वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले दावों से समायोजित की जा सके।

इस प्रकार विभाग की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की गुजरात, तमिलनांडु और राजस्थान डाक परिमण्डलों द्वारा प्रस्तुत जीवन्त खातों के अनियमित दावों का पता लगाने की विफलता के फलस्वरूप डाक भिगाग द्वारा वित्तीय मंत्रालय से ₹18.60 करोड़ के अनियमित पारिश्रमिक दावें, निरंतर चार वर्षों तक किये गये। विभाग द्वारा अभी तक कोई जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की गई है।

3.3 राजस्व की हानि

विभागीय निर्देशों के उल्लंघन करते हुए, आर एन आई से बिना रजिस्टर्ड समाचार पत्रों को रियायती शुल्क में छूट की अनुमति देने पर तमिलनाडु पोस्टल सर्कल को ₹8.91करोड़ के राजस्व की हानि

पोस्ट आफिस गाइड, भाग-I का नियम 129 जिसमें पत्रिकाओं के बुक पैकेट के संबंध में विशेष दरें लेने के लिये शर्त तय की गई हैं, निर्धारित करता है कि पत्रिकाओं के बुकपैकेट के संबंध में डाक की विशेष दरें केवल तब लागू होंगी यदि वह प्रैस और पुस्तकों के रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) एक्ट 1867 (1867 के 25) के तहत भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार (आर एन आई), के साथ पंजीकृत है और, उस पत्रिका के किसी भी सुविधाजनक जगह पर या प्रथम अथवा अंतिम पृष्ठ पर यह इंगित रहे, कि अंशदान "भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत है (आर एन आई)" जिसमें वह संख्या दर्शायी गई हो। आर एन आई से पंजीकरण के पश्चात् समाचार पत्र को संबंधित सक्षम डाक प्राधिकारी[12] के साथ अलग से पंजीकृत करना होगा। तद्नुसार संबंधित डाक प्राधिकारी द्वारा संबंधित प्रकाशक को एक लाइसेंस जारी किया जाएगा जो कि तीन वर्षों की अवधि हेतु वैध होगा जिसका समय–समय पर नवीनीकरण आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त जो समाचार

[12] मंडलीय सुपरिटेंडेंड कार्यालय तथा स्वतंत्र राजपत्रित पोस्टमास्टर।

पत्र रियायती दरें प्राप्ति हेतु उपरोक्त शर्तों को पूर्ण करने में विफल रहते हैं, उन्हें बुक पैकेट माना जायेगा तथा तदनुसार शुल्क[13] वूसला जाएगा।

अपात्र प्रकाशनों को रियायती शुल्क की अनुमति के कारण डाक शुल्क की कम वसूली से संबंधित टिप्पणी भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2008 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की सीए-I के पैराग्राफ 3.2 तथा 2008-09 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या-14 के पैराग्राफ 2.8 में की गई थी। मंत्रालय द्वारा अपने कार्यवाही नोट (ए टी एन) में, लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए, अप्रैल 2013 में कहा कि सभी परिमण्डलों को मई 2008 में पंजीकृत समाचार पत्रों पर समेकित निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह भी कहा गया (अप्रैल 2013) कि इन निर्देशों को जारी करने के पश्चात्, अपात्र प्रकाशनों को पंजीकृत समाचारपत्रों के वर्ग के अन्तर्गत पंजीकरण प्रदान करने में कमी आई है। तथापि लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि मई 2008 में जारी निर्देशों का सर्किलों द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा था तथा कमियॉ जारी रहीं जो नीचे वर्णित हैं:

लेखापरीक्षा (जुलाई 2012 से मार्च 2013) में तमिलनाडु डाक सर्किल के 14 मंडलों[14] के अधीन 28 मुख्य डाकघरों के रिकार्डों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि उपरोक्त नियमों की अवहेलना करते हुए आर एन आई से बिना पंजीकृत हुए समाचार पत्रों को, रियायती शुल्क प्रदान करने के उद्देश्य से, शीर्षक सत्यापन प्रमाणपत्र के आधार पर, अनियमितापूर्ण पोस्टल पंजीकरण प्रदान किया गया। विद्यमान प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए, बिना जॉचें कि वह समाचार पत्र आर एन आई से पंजीकृत हैं या नहीं, समय–समय पर उनका डाक पंजीकरण का नवीनीकरण किया गया था। कुछ मामलों में यह भी पाया गया कि डाक पंजीकरण के आवेदन के समय जो रजिस्ट्रेशन संख्या, समाचार पत्र के प्रथम पृष्ठ पर अथवा प्रकाशकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में दर्शायी गई थी, आर एन आई द्वारा किन्हीं अन्य समाचार पत्रों को जारी कर दी गई। चूंकि इन समाचार पत्रों के पास आर एन आई द्वारा रजिस्ट्रेशन का प्रमाणपत्र नहीं था, उनसे रियायती शुल्क प्रदान करने की बजाय बुक पैकेट दर से वसूल किया जाना चाहिए था। तमिलनामडु सर्किल में डाक प्राधिकारियों की इस चूक के फलस्वरूप राजस्व में ₹8.91 करोड़ **(अनुलग्नक-X)** की कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर चेन्नई के सी पी एम जी, तमिलनाडु सर्किल कार्यालय के निदेशक, डाक सेवायें (मुख्यालय) ने (सितंबर 2013) में कहा कि लेखापरीक्षा निष्कर्ष सही थे तथा मंडलों ने अब अनियमित लाइसेंस रद्द कर दिए हैं तथा लेखापरीक्षा द्वारा इंगित राशि की वसूली हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

---

[13] 31.05.2001 तक बुक पैकेट पर ₹2/-तथा 1.6.2001 के पश्चात् ₹4/- की दर लागू है।

[14] तमिलनाडु पोस्टल सर्किल में 43 मंडलों के अंतर्गत 93 मुख्य डाकघर हैं। लेखापरीक्षा 14 मंडलों के 28 मुख्य डाकघरों में संचालित की गई जैसे धामपुर, डिंडुगुल, इरोड, कॉचीपुरम, कन्याकुमारी, कराईकुडी, नागापट्टनम्, रामांथापुरम, सलेम (पूर्व), थेनी, तिरुवेनमलाई, मदुरै, थंजौर तथा त्रिची।

इस प्रकार तमिलनाडु पोस्टल सर्किल के मंडलों और मुख्य डाकघरों द्वारा विभागीय निर्देशों के अनुपालन की चूक के कारण ₹8.91 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई।

यह मामला जुलाई 2013 में मंत्रालय को सौंपा गया था, उनका उत्तर सिंतबर 2013 तक प्रतीक्षित था।

3.4 व्यर्थ व्यय

डा वि ने 2004 में क्रय की गई बोगियों के उपयोग के लिये प्रभावपूर्ण कार्रवाई करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹5.46 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ।

डाक विभाग (डा वि) 2002 में रेल डाक सेवा (आर एम एस) वैन के पूरे 97 बोगी का उपयोग कर रहा था। इन 97 बोगियों में से 50 में वैक्यूम ब्रेक प्रणाली (वी बी एस) थी और 40 में एयर ब्रेक प्रणाली (ए बी एस) थी। 1978-79 में (वी बी एस) विनिर्मित 50 आर एम एस बोगियों ने लगभग अपना जीवन के 25 वर्ष पूरे कर लिये थे। रेल मंत्रालय ने बताया था कि केवल वे कोच जिनका जीवन पांच वर्ष से अधिक था, ए बी एस प्रणाली में फिट किये जा सकते थे। इसलिये ये कोच ए बी एस प्रणाली में फिट नहीं हो सकते थे। 2002 में, विभाग को 60 पूर्ण बोगी ए बी एस प्रणाली युक्त तथा 12 स्टैंड बाइ कोच की आवश्यकता थी ताकि विभिन्न गाड़ियों में डाक–वहन किया जा सके। डा वि का विचार था कि यदि इसने नये कोच की मांग नहीं की तो रेलवे विभिन्न डाक–वाहन गाड़ियों में दूसरे दर्जे के कोच देगा एवं उपयोग का प्रभावी क्षेत्र उसी प्रकार के पूर्ण डाक बोगियों की तुलना में काफी कम होगा। तदनुसार, डा वि ने जुलाई 2003 में रेल कोच फैक्टरी, कपूरथला को क्रय आदेश दिये थे जोकि ₹49.63 लाख प्रति प्राक्कलित यूनिट लागत पर ₹12.41 करोड़ के ए बी एस के साथ 25 ब्राड गेज पूर्ण आर एम एस बोगी की आपूर्ति के लिये थे। इन बोगियों का उपयोग डाक वहन के लिये दक्षिणी (13) दक्षिण पूर्वी (4), पूर्वी (5) तथा पश्चिमी (3) रेलवे में किया जाना था। रेलवे को इसी कार्य के लिये अग्रिम भुगतान किया गया था।

मुख्य महाअध्यक्ष डाक कार्यालय (मु म अ डा) चेन्नई के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला (मार्च 2012 तथा मई 2012) कि दक्षिण रेलवे के लिये-13 बोगी जुलाई 2004 में प्राप्त की गई थी। इन 13 बोगियों में से 11 बोगी जिनका मूल्य ₹5.46 करोड़ था टोन्डियारपेट मारशालिंग यार्ड चेनई में निष्क्रिय पड़ी थीं। यह भी देखा गया कि मु म अ डा चेन्नई ने मार्च 2012 में डा वि मुख्यालय के साथ यह मामला उठाया था ताकि ये 11 बोगियां, जो निष्क्रिय पड़ी थीं, का निपटान किया जा सके। प्रत्युत्तर में, डा वि मुख्यालय ने सम्बन्धित डाक परिमंडल से गैर उपयोग की रिपोर्ट मांगी थी (मई 2012)।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, निदेशक (डाक प्रबन्धन), डा वि ने बताया (जनवरी 2013) कि रेलवे द्वारा इन 11 कोच को उपयोग में नहीं लिया गया था। यह भी बताया गया था कि रेल मंत्रालय से अनुरोध किया गया था कि वे कोच के उपयोग की संभावना को निर्दिष्ट करें।

डा वि ने आगे उत्तर में बताया कि शेष 12 कोच के उपयोग की जो वर्तमान स्थिति पश्चिमी, पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी में रखी गयी हैं उसे संबंधित परिमण्डल से प्राप्त की जा रही थी।

डा वि ने उत्तर में स्पष्ट करते हुए कारण नहीं बताया है कि रेलवे ने इन 11 कोचो का उपयोग क्यों नहीं किया। आगे उत्तर में भी विरोधाभास है क्योंकि दक्षिण रेलवे चेन्नई ने विशेष रूप से बताया था (जून 2012) कि इनमें कोई भी कोच उपयोग के लिये उपयुक्त नहीं था। इसके अतिरिक्त, डा वि का उत्तरदायित्व था कि वह इन कोच का उपयोग सुनिश्चित करे जिस पर वृहत राशि निवेश की गई थी तथा अपनी सम्पत्ति पर भी कड़ाई से चौकसी रखे। डा वि का उत्तर कि शेष 12 कोच के उपयोग की वर्तमान स्थिति जोकि पश्चिमी, पूर्वी व दक्षिण पूर्वी निपटान में रखी गई थी, परिमंडलों से प्राप्त की जा रही थी, इससे पता चलता है कि रेल डाक सेवाओं के निर्बाध कार्य के लिये अधिप्राप्त मूल्यवान सम्पत्तियों का उपयोग सुनिश्चित करने में डा वि द्वारा साधारण दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है।

इस प्रकार डा वि का अपनी ओर से 2004 में क्रय की गई रेल बोगी के उपयोग हेतु प्रभावपूर्ण कदम उठाने की कार्यवाही न करने के परिणामस्वरूप ₹5.46 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ।

3.5 झारखंड डाक सर्किल में वृद्धावस्था पेंशन के वितरण के लिये सेवा शुल्क लागू करने में विफलता

दिसम्बर-2005 के डाक निदेशालय के निर्देशों की अवज्ञा के फलस्वरूप मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, झारखंड डाक सर्किल द्वारा इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन के वितरण के लिये 2008-2013 के दौरान ₹1.52 करोड़ की सेवा शुल्क वसूली में विफलता।

भारत सरकार द्वारा प्रायोजित, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना जिसको नये नाम इंदिरा गांधी पेंशन योजना[15] (आई जी एन पी एस) से नामित किया गया, के अंर्तगत, डाक विभाग द्वारा (दिसंबर 2005) यह तय किया गया कि डाक विभाग तथा संबंधित राज्य के सक्षम प्राधिकारी के मध्य परस्पर सहमत सेवा शुल्कों के भुगतान पर डाकघरों के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन के वितरण की सेवायें देगा। तद्नुसार, दिसंबर 2005 में सचिव (डा वि) द्वारा सभी मुख्य पोस्ट मास्टर जनरलों (सी पी एम जी) को पेंशन वितरण की लागत आंकलन के पश्चात् सेवा शुल्क तय करने हेतु मामले पर संबंधित राज्य श्रम सचिवों से अनुवर्ती कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए। डाक विभाग के निर्देशानुसार, बिहार सर्किल के सी पी एम जी द्वारा दिसंबर 2005 और अप्रैल 2006 में इस पर कार्यवाही शुरू की व वृद्धावस्था पेंशन भुगतान हेतु राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। उनके द्वारा इसके लिए प्रति पेंशन प्रति वर्ष का ₹18 का सेवा शुल्क भी इस हेतु तय किया गया। बिहार सर्किल ने वर्ष 2008-2013 (फरवरी 2013 तक) बिहार सरकार से ₹25.79

[15] भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित मापदंडो के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले सभी 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र (वर्ष 2011 में 65 वर्ष से कम कर) इस योजना की लाभ के लिये योग्य होंगे।

करोड़[16] के सेवा शुल्क की वसूली की। झारखंड डाक सर्किल जो कि भारत सरकार द्वारा 2000 में तीन नये राज्यों के निर्माण के फलस्वरूप 2001 में अस्तित्व में आया, 2001 से पहले बिहार पोस्टल सर्किल के अंर्तगत था।

सी पी एम जी, झारखंड पोस्टल सर्किल के मार्च 2013 के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि सी पी एम जी झारखंड परिमंडल ने इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय पेंशन योजना के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान राज्य सरकार से कोई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये बिना कर किया गया। समझौता ज्ञापन की अनुपस्थिति में, झारखंड पोस्टल सर्किल, आई जी एन पी एस के अंर्तगत 2008-09 से 2012-13 (फरवरी 2013 तक) के दौरान 842701 खातों पर ₹269.04 करोड़ तक के मूल्य की वृद्धावस्था पेंशन भुगतान के पश्चात् भी ₹1.52 करोड़[17] की सेवा शुल्क वसूल करने में असफल रहा। डाक निदेशालय अनेक राज्यों द्वारा सेवा शुल्कों की प्राप्ति की मानीटरिंग करने में विफल रहा और झारखंड सरकार द्वारा सेवा शुल्कों की अप्राप्ति का पता नही लगा पाया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर, सी पी एम जी झारखंड सर्किल ने (मई 2013) बताया कि आईजीएनपी एस के अंर्तगत, पेंशन के लागू तथा भुगतान हेतु सर्किल द्वारा, राज्य सरकार को कोई विशेष सेवा प्रदान नहीं की गई। यह भी कहा गया कि डाक निदेशालय द्वारा किसी विशिष्ट आदेश के अभाव में, वृद्धावस्था पेंशन भुगतान में राज्य सरकार से किसी सेवा शुल्क का दावा नहीं किया गया।

झारखंड सर्किल के सी पी एम जी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिसम्बर 2005 में डाक विभाग के सचिव ने सभी सर्किल अध्यक्षों को संबधित राज्य सरकारों से संपर्क स्थापित करने हेतु निर्देश दिया ताकि डाक विभाग राष्ट्रीय गतिविधि का एक भाग हो और आगे राजस्व प्राप्त कर सकें। यह भी दृष्टिगोचर हुआ कि अन्य पोस्टल सर्किल भी वृद्धावस्था पेंशन भुगतान के विरूद्ध सेवाशुल्क की वसूली कर रहे हैं। डाक विभाग को भी ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे सभी पोस्टल सर्किल, राज्य सरकारों के परामर्श से परस्पर/सहमत दरों पर सेवा शुल्क उगाहें।

इस प्रकार, डाक निदेशालय की अप्रभावी निगरानी तथा सी पी एम जी, झारखंड सर्किल द्वारा डाक निदेशालय के निर्देशों की अवज्ञा के कारण वर्ष 2008-2013 (फरवरी 2013 तक) झारखंड पोस्टल सर्किल को, आई जी एन पी एस के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन भुगतान पर सर्विस चार्ज के रूप में ₹1.52 करोड़ के मूल्य के राजस्व की हानि हुई।

जून 2013 में मामला डाक विभाग को भेजा गया था, अगस्त 2013 तक उनका उत्तर प्रतिक्षित था।

---

[16] डाक लेखा कार्यालय पटना द्वारा लेखा शीर्ष 1201008004000 के अन्तर्गत डाक प्राप्ति में बुक किया गया

[17] सेवा शुल्क बिहार परिमण्डल के अनुसार ₹18 प्रति खाता/प्रतिवर्ष अनुमानित गणना के आधार पर